

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा / मा / संस्था / वरि. / के-१ / दि.प.आ. / 2021

दिनांक:- 21.01.2022

समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा विभाग।

विषय:-पदोन्नति में दिव्यांगजनों के लिए प्रत्येक संवर्ग में 4 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान के संबंध में।

संदर्भ:-कार्मिक विभाग का पत्रांक-प-14(36) कार्मिक / क-२ / 2007
पार्ट-१, जयपुर दिनांक 01.12.2021

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कार्मिक विभाग द्वारा पदोन्नति में भी दिव्यांगजनों के लिए प्रत्येक संवर्ग में 4% आरक्षण प्रावधान करते हुए संदर्भित परिपत्र द्वारा उक्त बाबत् नवीन निर्देश जारी किए गए हैं। कार्मिक विभाग के संदर्भित परिपत्र की प्रति संलग्न प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि परिपत्र में अंकित निर्देशों की क्षेत्राधिकार में अक्षरशः पालना सुनिश्चित करते हुए अग्रांकित विवरणानुसार वांछित कार्यवाही संलग्न प्रेषित निर्धारित समय रेखा के अनुरूप निष्पादित कर सूचित करावें:-

(1) संभाग क्षेत्राधिकार में अधीनस्थ नियुक्ति अधिकारियों, जिनके द्वारा किसी संवर्ग विशेष की वरिष्ठता सूचियों का संधारण किया जाता है, उन्हें संलग्न प्रेषित समय रेखा के अनुरूप उनके द्वारा संधारित समस्त वरिष्ठता सूचियों में पात्र दिव्यांग कार्मिकों से संलग्न प्रेषित निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त कर उनकी दिव्यांग पात्रता की चिह्नित श्रेणी सहित पुष्टि उपरांत संबंधित वरिष्ठता सूचियों में प्रविष्टि की सुनिश्चितता किए जाने हेतु आदेशित करें। साथ ही उक्त समस्त अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा वांछित कार्य निष्पादन की पूर्णता बाबत् प्रमाण पत्र प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखें तथा उक्त समस्त प्रविष्टियों का अंकन आवश्यकतानुसार सभाग कार्यालय के अभिलेखों में भी तत्काल किए जाने की सुनिश्चितता करावें। यह ध्यान रहे कि सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यरत समस्त दिव्यांगजन की बैंचमार्क दिव्यांगता श्रेणी की विशिष्टियों का अंकन संलग्न प्रेषित निर्धारित आवेदन पत्र की सम्यक् पूर्ति उपरांत सम्बन्धित के सेवा अभिलेखों में यथास्थान किया जाकर आवेदन पत्र सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी / संयुक्त निदेशक को संलग्न प्रेषित समय रेखा के अनुसार अग्रेषित किया जायेगा।

(2) मंडल अधिकारी के रूप में स्वयं आपके द्वारा जिन संवर्गों हेतु सक्षम नियुक्ति अधिकारी के नाते वरिष्ठता सूचियों का संधारण किया जाता है, उन वरिष्ठता सूचियों में बैंचमार्क दिव्यांग पात्रता की सम्यक् पुष्टि उपरांत यथास्थान प्रविष्टि की सुनिश्चितता करते हुए उक्त बाबत् जारी समस्त आदेशों की प्रतियां (हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी में) दिनांक 25.02.2022 तक इस कार्यालय को भिजवाये जाने की सुनिश्चितता करावें। उक्त विषयक कार्य पूर्णता का प्रमाण पत्र भी संलग्न प्रेषित समय रेखा के अनुरूप इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।


(3) संभाग क्षेत्राधिकार के विद्यालयों / कार्यालयों में कार्यरत समस्त प्राध्यापक एवं समकक्ष / प्रधानाध्यापक एवं समकक्ष / प्राचार्य एवं समकक्ष तथा उच्चरस्थ अधिकारियों में से पात्र दिव्यांग अधिकारियों का समेकित विवरण निम्नांकित प्रारूप में अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति के साथ दिनांक 25.02.2022 तक इस कार्यालय के वरिष्ठता अनुभाग में हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी (MS-Excel फॉन्ट DevLys 010) में भिजवाए जाने की सुनिश्चितता करावें।

क्र.सं.	नाम अधिकारी	जन्मतिथि	एम्प्लोई आईडी	संवर्ग में मूल पद एवं वरिष्ठता क्रमांक मय वर्ष	पद एवं पदस्थापन स्थान	बैंचमार्क दिव्यांगता की श्रेणी	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8

(4) उपर्युक्त निर्देशित कार्यवाही के सम्यक् एवं समयबद्ध निष्पादन हेतु संभाग क्षेत्राधिकार में इसका समुचित प्रचार-प्रसार करते हुए समस्त अधीनस्थ अधिकारियों को भी उक्त बाबत् पाबन्द करने की सुनिश्चितता करें।

(5) संभाग क्षेत्राधिकार में समस्त अधीनस्थ अधिकारियों तथा पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों / संस्था प्रधानों / कार्यालयाध्यक्षों को उनके स्वयं तथा अधीनस्थ कार्मिकों के शाला दर्पण पोर्टल पर व्यक्तिगत विवरण (प्रपत्र-10) में सम्बंधित बैंचमार्क दिव्यांगता की प्रविष्टि सम्बंधित कार्मिक से प्राप्त अधिकृत सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र की पुष्टि उपरान्त नियमान्तर्गत कर शाला दर्पण में उक्त प्रविष्टि तत्काल किए जाने हेतु पाबंद करें। साथ ही उक्त आवेदन-पत्र मय सत्यापित दिव्यांगता प्रमाण-पत्र को सम्बंधित जिला शिक्षा अधिकारी / संभागीय संयुक्त निदेशक (उपरांकित निर्देशानुरूप जहां भिजवाया जाना हो) को भिजवाये जाने हेतु निर्देशित करें।

उपर्युक्त निर्देशित कार्यवाही को निर्धारित समयावधि में सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए ठोस कार्य योजना निर्मित कर निष्पादित करावाए जाने की सुनिश्चितता करें।
संलग्नः— यथोक्त


(काना राम)

आईएस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही / पालनार्थ प्रेषित है:-

1. राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (कार्मिक / प्रशिक्षण), कार्यालय हाजा।
5. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।

6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) गणगांगेक/प्रारंभिक शिक्षा।
7. समरत मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक संदर्भ केन्द्र (प्रभारी, समग्र शिक्षा।
8. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर/अजमेर।
9. प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर।
10. मैनेजर, गुरु नानक संस्थान भवन, जयपुर।
11. समस्त प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान।
12. प्रधानाचार्य, राजकीय सादुल स्पोट्स र्स्कूल, बीकानेर।
13. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
14. समस्त पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी।
15. समस्त संस्था प्रधान, राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय।
16. वरिष्ठ सम्पादक, "शिविरा", प्रकाशन अनुभाग, कार्यालय हाजा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
17. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
18. सहायक निदेशक, शाला दर्पण, कार्यालय हाजा को शाला दर्पण पर समस्त कार्मिकों/अधिकारियों के प्रपत्र—10 में बैंचमार्क दिव्यांगता की प्रविष्टि की सुनिश्चितता हेतु पॉप—अप की व्यवस्था के लिए अग्रिम कार्यवाही बाबत।
19. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
20. रक्षित पत्रावली।



क्र.सं.	आवेदन प्रक्रिया के चरण	निर्धारित समय सीमा
(1)	कार्मिक द्वारा नियंत्रण अधिकारी को निर्धारित प्रारूप में बैंचमार्क दिव्यांगता प्रमाण—पत्र के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुतिकरण।	15.02.2022 तक
(2)	नियंत्रण अधिकारी द्वारा परीक्षण/ तस्दीक कर नियुक्ति अधिकारी/ DEO/ JD (यथा निर्देशित) को अग्रेषण	18.02.2022 तक
(3)	संभागीय संयुक्त निदेशक द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त आवेदनों के समेकन उपरान्त निर्धारित प्रारूप में 'सूचना मय वांछित प्रमाण—पत्र निदेशालय को भिजवाना	25.02.2022 तक

बैंचमार्क दिव्यांगता की वरिष्ठता सूची में प्रविष्टि हेतु आवेदन-पत्र

संदर्भ:- कार्मिक विभाग का निर्देश परिपत्र क्रमांक: प.14(36) कार्मिक / क-2 / 2007 पार्ट-1, जयपुर, दिनांक:- 01.12.2021

1.	नाम कार्मिक	
2.	जन्म दिनांक	
3.	सेवा संवर्ग का नाम एवं मूल पद	
4.	स्थाई/ परिवीक्षाधीन	
5.	वर्तमान पदस्थापन स्थान	
6.	वर्तमान पदस्थापन स्थान पर पदनाम	
7.	एम्प्लॉई आईडी	
8.	वरिष्ठता सूची में पूर्व से नामांकन होने पर— जिला / मण्डल / राज्य स्तरीय वरिष्ठता क्रमांक मय चयन वर्ष	
9.	वरिष्ठता सूची में नाम अंकन न होने पर— (i) डीपीसी चयन वर्ष एवं पदोन्नत पद पर कार्यग्रहण तिथि (ii) आरपीएससी चयन वर्ष मय मेरिट क्रमांक / प्राप्तांक प्रतिशत मय विषय एवं कार्यग्रहण तिथि	
10.	बैंचमार्क दिव्यांगता का विवरण: (अ) दृष्टि बाधित और अल्पदृष्टि (ब) श्रवण बाधित (स) सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड पीड़ित, मॉसपेशियों की डिस्ट्रोफी सहित समस्त चलन—निःशक्तता (द) (1) ऑटिज्म, बौद्धिक निःशक्तता, लर्निंग निःशक्तता एवं मानसिक रुग्णता (2) बहुविकलांगता (उपरोक्त ग्रुप—अ से द तक में वर्णित निःशक्तता एवं श्रवण शक्ति का हास एवं दृष्टि बाधित सहित)।	
11.	विशेष विवरण	

दिनांक:-

(हस्ताक्षर आवेदक)

नाम—

पद—

पदस्थापन स्थान—

नियंत्रण अधिकारी/ कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अग्रेषण

क्रमांक:

दिनांक:

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ सुश्री

पद: द्वारा उपर्युक्त आवेदन पत्र में अंकित विशिष्टयों की जांच सेवाभिलेख में उपलब्ध अभिलेख से कर ली गई है तथा सत्यापन उपरान्त यथास्थान प्रविष्टि कर दी गई है। प्रस्तुत दस्तावेजों के परीक्षण उपरान्त यह पाया गया है कि कार्मिक विभाग के सन्दर्भित परिपत्र दिनांक: 01.12.2021 के परिप्रेक्ष्य में बैंचमार्क दिव्यांगता के अंकन हेतु प्रकरण उपयुक्त है।

हस्ताक्षर नियंत्रण अधिकारी
मय नाम एवं मुहर

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक प. 14(36)कार्मिक / क-2 / 2007 पार्ट-।

जयपुर, दिनांक:

- 1 समस्त अतिः मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
2 समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स) सहित।

E T DEC 2021

परिपत्र

विषय:-सीधी भर्ती और पदोन्नति में दिव्यांगजन को आरक्षण देने के संबंध में।

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 29.8.2019 के द्वारा दिव्यांगजनों (विशेष योग्यजनों) (Persons with Disabilities) को सीधी भर्तीयों में आरक्षण देने के लिए रोस्टर बिन्दु निर्धारित करनें एवं रोस्टर पंजिका संधारित करनें के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में अधिसूचना क्रमांक प. (10)एस ए पी/एकट/15374 दिनांक 14 अक्टूबर 2021, जिसका प्रकाशन राजस्थान राजपत्र में दिनांक 21.10.21 को हुआ है, द्वारा दिव्यांगजनों के लिए प्रत्येक संवर्ग में 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसके आधार पर दिव्यांगजनों को पदोन्नति में भी आरक्षण देय है। दिव्यांगजन आरक्षण के संबंध में इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी समस्त निर्देशों के अतिक्रमण में यह नवीन निर्देश जारी किय जा रहे हैं।

राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 में वर्णित दिव्यांगजन की प्रत्येक श्रेणी को एक-एक प्रतिशत आरक्षण निम्नानुसार देय है:-

- (अ) दृष्टि बाधित और अल्पदृष्टि।
(ब) श्रवण बाधित।
(स) सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड पीड़ित, मॉसपेशियों की डिस्ट्रोफी सहित समस्त चलन-निःशक्तता
(द) (1) ऑटिज्म, बौद्धिक निःशक्तता, लर्निंग निःशक्तता एवं मानसिक रुग्णता।
(2) बहुविकलांगता उपरोक्त ग्रुप-अ से द तक में वर्णित निःशक्तता एवं श्रवण शक्ति का हास एवं दृष्टि बाधित सहित।

रिक्तियों का उक्त आरक्षण क्षैतिज माना जायेगा और बैंचमार्क दिव्यांगजन के लिए रिक्तियां एक अलग वर्ग के रूप में संधारित की जावेगी।

2. **दिव्यांगजन प्रमाण-पत्र:**- दिव्यांगजन श्रेणी का लाभ प्राप्त करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण - पत्र आवश्यक होगा। सक्षम प्राधिकारी चिकित्सा एवं स्वारक्ष्य विभाग द्वारा अधिकृत व्यक्ति होगा।

fmw

3. आरक्षण हेतु पदों का चिन्हीकरण एवं आरक्षण में छूटः—सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 4.1.2021 द्वारा निःशक्तता की विभिन्न श्रेणियों से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नौकरियों/पदों का चिन्हीकरण किया गया है। राज्य सरकार में पदों की भर्ती के समय दिव्यांगजन हेतु पद आरक्षित करने के लिए उक्त अधिसूचना एवं समय—समय पर अद्यतन अधिसूचनाओं का संदर्भ लिया जायेगा तथा इनमें वर्णित पदों की भर्ती में दिव्यांगजन हेतु पद आरक्षित किये जायेगे। सामान्यतया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त चिन्हित पदों को दिव्यांगजन आरक्षण से मुक्त नहीं किया जायेगा।

परन्तु यह भी कि किसी पद का पदनाम भारत सरकार के पदनाम से भिन्न हो या कोई पद भारत सरकार के किसी विभाग में अस्तित्व में नहीं हो तो राज्य में किसी समकक्ष श्रेणी के पद को चिन्हित करने के लिए प्रकरण राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के नियम 6 के अन्तर्गत गठित समिति को संदर्भित किया जायेगा। उक्त समिति किसी पद विशेष की कार्य की प्रकृति और पद के दायित्व के आधार पर समकक्ष पद चिन्हित करेगी।

यदि कोई नियुक्ति प्राधिकारी निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण के प्रावधान से किसी कार्य अथवा कतिपय पद से संबंधित कार्यों को अंशतः अथवा पूर्णतया मुक्त रखना आवश्यक समझे तो नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा इसका पूर्ण औचित्य दर्शाते हुए निदेशक, विशेष योग्यजन, राजस्थान सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया जायेगा। निदेशक, विशेष योग्यजन द्वारा प्रकरण में छूट पर विचार किये जाने हेतु राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के नियम 6 के तहत गठित समिति के समक्ष रखा जायेगा। समिति द्वारा समर्त तथ्यों पर विचार कर पद विशेष के लिए सीधी भर्ती में दिव्यांगजन की किसी विशेष श्रेणी अथवा सभी श्रेणियों के लिए आरक्षण से छूट प्रदान करेगी।

यह भी उल्लेखनीय है कि यदि कोई पद विशेष योग्यजन की किसी एक ही श्रेणी के लिए उपयुक्त होना चिन्हित किया गया है तो उस स्थिति में विशेष योग्यजन हेतु आरक्षित सभी 4 प्रतिशत पद विशेष योग्यजन की उसी श्रेणी से भरे जायेगे।

4. रिक्तियों का अग्रेषण एवं अन्तः श्रेणी परिवर्तन :—जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति, उपयुक्त बैंचमार्क निःशक्तजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अग्रेषित की जायेगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैंचमार्क दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः निःशक्तता की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तरपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। अन्तर परिवर्तन करने के पश्चात् भी यदि किसी रिक्ति हेतु कोई दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है तो उस रिक्ति को दिव्यांगजन के अलावा अन्य अभ्यर्थी से भरा जा सकेगा।

5. अनारक्षित रिक्ति के विरुद्ध चयनः— जहां कोई पद दिव्यांगजन की सभी श्रेणिया या एक श्रेणी के लिए उपयुक्त हो तो उस पद की भर्ती में दिव्यांगजन के लिए रिक्ति आरक्षित नहीं होने पर भी बिना आरक्षण का लाभ लिए स्वयं की योग्यता पर चयनित होने की पात्रता रखने पर विशेष योग्य जन को उस पद के लिए प्रतियोगिता और चयन से वंचित

6/2021

नहीं किया जा सकता है। मापदण्डों में शिथिलन के बिना स्वयं की योग्यता से चयनित ऐसे विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को रोस्टर में अनारक्षित बिन्दुओं के विरुद्ध दर्शाया जायेगा तथा भविष्य में भर्ती के समय विशेष योग्यजन के लिए उपलब्ध होने वाली आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जायेगा।

6. दिव्यांगजन को सीधी भर्ती में निम्न रियायतें देय होगी:—

- (1) आयु सीमा— सीधी भर्ती में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को उपरी आयु सीमा में 5 वर्ष का शिथिलन देय होगा। आयु सीमा में यह शिथिलन नियमों में विभिन्न श्रेणियों में लंबवत् व क्षेत्रिज आरक्षण श्रेणियों को देय शिथिलन के अतिरिक्त होगा।
- (2) सेवा नियमों में जहाँ कही भी किसी भी पेपर के लिए न्यूनतम अर्हता/ उत्तीर्णक निर्धारित है, दिव्यांगजन को उसमें 5 % की रियायत होगी।

7. आरक्षण की गणना की पद्धति:— दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 के प्रयोजन हेतु राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के नियम 5 अनुसार सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के संवर्ग में 4 प्रतिशत आरक्षण संदर्भित दिव्यांगजनों को देय होगा। दिव्यांगजन को सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति में जैसी भी स्थिति हो, निर्धारित 4 प्रतिशत आरक्षण की गणना किसी सेवा संवर्ग में कुल पदों की संख्या को आधार पर मानते हुए की जायेगी।

उक्त अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत चिन्हित निःशक्तजन के लिए किया गया आरक्षण एक क्षेत्रिज आरक्षण होगा और सदर्भित निःशक्तजन के लिए निर्धारित पद विशेष प्रवर्ग के रूप में संचालित होगा।

8. पदोन्नति में आरक्षण:— सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना दिनांक 14.10.2021, जिसका राजस्थान राजपत्र में दिनांक 21.10.2021 को प्रकाशन हुआ है। अतः यह अधिसूचना दिनांक 21.10.2021 को प्रभावी है। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि यदि विभाग द्वारा रिक्त वर्ष 2021–22 में किन्हीं पदों की विभागीय पदोन्नति समिति आयोजित नहीं होने के कारण पदोन्नति की कार्यवाही नहीं की जा सकी है, तो अब उक्त अधिसूचना के प्रावधान के अन्तर्गत बैचमार्क दिव्यांगजन को पदोन्नति में उक्तानुसार 4 प्रतिशत का आरक्षण दिया जायेगा परन्तु जिन विभागों द्वारा दिनांक 21.10.2021 से पूर्व दिव्यांगजन को पदोन्नति में बिना आरक्षण देते हुए विभागीय पदोन्नति समितियों आयोजित की जा चुकी है, इन्हें पुनः नहीं खोला जायेगा अर्थात् ऐसी डी.पी.सी को रिव्यू नहीं किया जावेगा।

9. रोस्टर का संधारण :— दिव्यांगजन के लिए सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए अलग—अलग रोस्टर संधारित किया जायेगा। कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 29.8.2019 के निर्देशानुसार रोस्टर रजिस्टर सीधी भर्ती की भांति ही पदोन्नति में भी 100 अंकों का चक होगा। प्रत्येक चक 4 ब्लॉक में विभाजित किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं:—

- | | |
|---------------|------------------------------------|
| प्रथम ब्लॉक | : रोस्टर रजिस्टर के क.सं. 01 से 25 |
| द्वितीय ब्लॉक | : रोस्टर रजिस्टर के क.सं. 26 से 50 |
| तृतीय ब्लॉक | : रोस्टर रजिस्टर के क.सं. 51 से 75 |

GWW

चतुर्थ ब्लॉक : रोस्टर रजिस्टर के क्र.सं. 76 से 100

रोस्टर रजिस्टर के क्रम सं. 1, 26, 51 एवं 76 वाले पद सीधी भर्ती व पदोन्नति दोनों में दिव्यांगजन हेतु क्षैतिज आधार पर आरक्षित रहेंगे। प्रत्येक विभाग में दिव्यांगजन हेतु संलग्न प्रपत्र 'अ' में निर्धारित प्रारूप में रोस्टर पंजिका का संधारण किया जायेगा।

- 10. निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए सम्पर्क अधिकारी** :—प्रत्येक विभाग में दिव्यांगजन आरक्षण की अनुपालना के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जायेगा। नोडल अधिकारी द्वारा विभाग के सभी सेवा संवर्गों में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में आरक्षण प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करवाई जायेगी। नोडल अधिकारी द्वारा दिव्यांगजन हेतु रोस्टर पंजिका भी संधारित करवाई जायेगी तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आरक्षण रोस्टर पंजिका का संधारण सही तरीके से किया जा रहा है। दिव्यांगजन आरक्षण के संबंध में नोडल अधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष रिपोर्ट विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत की जायेगी।

सभी विभागों द्वारा दिव्यांगजन हेतु 4 प्रतिशत आरक्षण हेतु उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।



प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. सचिव, मा० राज्यपाल, राजस्थान।
2. सचिव, मा० मुख्यमंत्री, राजस्थान। **सत्यमेव जयते**
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव।
4. मुख्य आयुक्त (दिव्यांगजन), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
7. समस्त अध्यक्ष/सचिव, आयोग निकाय/बोर्ड/निगम/प्राधिकारण।
8. निदेशक, निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपुर।
9. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

(जय सिंह)

संयुक्त शासन सचिव

प्रपत्र- 'अ'

विशेष योग्यजन हेतु रोस्टर पंजीका

(विभिन्न श्रेणियों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण)

इलांक	आरक्षित रोस्टर विन्दु	विशेष योग्यजन जनश्वेषी जिसके लिए आरक्षित है	भर्ती वर्ष	चयनित व्यक्ति का नाम	अप्रेवित आरक्षण (यदि कोई है)	टिप्पणी
1-25	01					
26-50	26					
51-75	51					
76-100	76					

सत्यमेव जयते

नियुक्ति प्राधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

6/1